न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
50/2017	29.12.2017	22.01.2021

1. रामशरण पुत्र श्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी नांगल संतोकडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

–: प्रार्थी

बनाम

1. छोटेलाल पुत्र लालमन (मृतक)
1/1 हनुमान
1/2 पतराम
1/3 महेन्द्र
1/4 जगदीश उर्फ लग्गी पुत्रान छोटेलाल
1/5 कमला पुत्री छोटेलाल जाति गुर्जर निवासी नांगल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :– 22.01.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 242 रकबा 0.85 है0, 241 रकबा 0.86 है0 एवं खसरा नम्बर 434/240 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है, जो कि उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 242 व 241 रकबा मिन प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी है, जिससे प्रार्थी 1/2 भाग का खातेदार दर्ज है, जिससे प्रार्थी 1/2 भाग का खातेदार दर्ज है, बहामी विभाजन में आराजी प्रार्थी के हिस्से आयी हुयी है।
3. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 434/240 रकबा ... अप्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है, खसरा नम्बर 434/240 से लगता हुआ रास्ता सरकारी है जो हरसौली से खैरथल जाता है।
4. यह है कि खसरा नम्बर 434/240 से लगती हुयी प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 241, 242 है, प्रार्थी की आराजी की डोल एवं अप्रार्थी के खसरा नम्बर 434/240 की डोल सामलाती है, प्रार्थी की उत्तरी डोल से लगती हुयी अप्रार्थी की आराजी के दुसरी तरफ दीगर आराजी से लगता हुवा रोड है, एवं प्रार्थी की आराजी के दुसरी तरफ दीगर आराजी है,, उससे भी रास्ता लगता हुवा है, लेकिन दीगर आराजी कोटकासिम तहसील की होने से अदालत श्रीमान से क्षेत्राधिकार में नही है, एवं उक्त दीगर आराजी अनुसूचित जाति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

व्यक्ति की खातेदारी में है। इसलिये सुगम व नजदीकी रास्ता अप्रार्थी की आराजी में से ही दिया जा सकता है।

5. यह हे कि आराजी गैर मुमकिन चाह व प्रार्थी की आराजी मे बने मकानों तक जाने के लिये दीगर जगह से या वैकल्पिक रास्ता नही है, प्रार्थी सडक सरकारी से अप्रार्थी की की आराजी में से अपनी आराजी तक आता जाता रहा है, परन्तू फसल बुवाई के बाद रास्ता बन्द हो जाता है केवल पगडण्डी रह जाती है, फसल के समय वाहनो का आवागमन बद हो जाने से प्रार्थी को परेशानी होती है। प्रार्थी अपनी आराजी तक कृषि से संबंधित कोई उपकरण लाने ले जाने कृषि उपज को बाजार तक पहुचाने के लिये वाहन अपनी आराजी तक नही ले जा सकता है एवं जब कभी अप्रार्थी फसल पहले बिजाई कर देता है तो प्रार्थी की आराजी में काश्त करने जुताई करने में परेशानी आती है, वादी मान मनुहार करके अप्रार्थी की आराजी में से कभी दुसरे की आराजी मे से फसल बुवाई करते है।

6. यह है कि मिन प्रार्थी अप्रार्थी से रास्ता के बावत रकम देने व रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की बात भी कर चुके है। सडक आम से प्रार्थी की आराजी तक अप्रार्थी की आराजी में से करीब 350 फुट लम्बाई है, एवं 11 फुट चौडाई में रास्ता बाबत प्रार्थी अनुतोष चाहता है प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि लम्बाई करीब 350 फुट एवं चौडाई करीब 11 फुट की एवज में अप्रार्थी को भूमि देने या बाजार मूल्य की दौगुनी राशि देने को तैयार है, प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी लगती हुयी है, अप्रार्थी चाहे तो रास्ते की एवज में प्रार्थी से भूमि अपनी आराजी से लगती भूमि ले सकता है, अप्रार्थी से भूमि अपनी आराजी से लगती भूमि ले सकता है, अप्रार्थी की आराजी की पुर्वी डोल के साथ साथ रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रार्थी अनुतोष चाहता है। प्रार्थी के पास और कोई नजदीकी रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी को खसरा नम्बर 434/240 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा मे से पूर्वी डोल के साथ साथ उत्तर दक्षिण लम्बाई 350 फुट चौडाई 11 फुट का रास्ता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

7. यह है कि प्रार्थी अब फसल बुवायी के लिये डम्फर लेकर अप्रार्थी की आराजी में से दिनांक 22.11.2017 को जाने लगा तो अप्रार्थी ने मना कर दिया तो प्रार्थी के अन्य काश्तकारो से निवेदन करने पर बडी मुश्किल से टैक्टर आने दिया कि अबकी बार तो ले जा सकता है, अन्यथा अपना रास्ता बना ले इसलिये अब प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि :--

(क). यह है कि मिन प्रार्थी को खसरा नम्बर 434/2[illegible] है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा में से पूर्वी डोल के साथ साथ उत्तर दक्षिण [illegible] फुट चौडाई 11 फुट का रास्ता रास्ते की भूमि के बदले [illegible] की एवज में दिलाये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यवीर चौहान, सुरेश चन्द यादव हुए। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।

3. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

4. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।

5. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।

6. बहस वकूलाय सुनी गई।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

ग्राम मैनपुर का आराजी हाल खसरा नम्बर 242 रकबा 0.85 हे0, 241 रकबा 0.86 हे0 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी उक्त ख0नं0 में आने-जाने के लिए ख0नं0 343/240 रकबा 0.37 हे0 में से 11 फुट चौड़ा का रास्ता चाह रहा है। ख0नं0 343/240 रकबा 0.37 हे0 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 343/240 रकबा 0.37 हे0 सडक से लगता है। ख0नं0 242 रकबा 0.85 हे0, 241 रकबा 0.86 हे0 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा और भी रास्ता है। जो दीगर आराजी कोटकासिम तहसील की है।

अप्रार्थीगण के तर्क रहे कि आराजी खसरा नम्बर 241 व 242 में रास्ता लेना चाहते है इसके साथ खसरा नम्बर 547/512 है जो मात्र 60-70 फीट दूर है ख0 नं0 241, 242 से पास है। हमारे खेत में से मांग रहे है वह 420 फीट है। जो निकट नही है। प्रार्थी जबरन रास्ता चाहते है। हमारी आराजी में कोटडी व बोरिग है। इसलिस प्रार्थना पत्र को खारीज किया जावे।

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी ख0नं0 241 व 242 कृषि कर रहा है। जहां से सम्पूर्ण मौका स्थिति को देखने से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि, प्रार्थी के लिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नम्बर 434/240 की पूर्वी डोल के साथ साथ उत्तर से दक्षिण दिशा में लम्बाई 350 फीट चौडाई 11 फीट का रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने-जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने-जाने, फसल की जुताई-बुवाई-कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 159 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 434/240 की उत्तरी सीमा से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी ख0नं0 242 व 241 में 1/2 हिस्से का खातेदार है। चूंकि आ0ख0नं0 434/240 बारानी 1 किस्म है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

8. न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाह[illegible]मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग-उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding [illegible] लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आ[illegible] है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को [illegible] ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

—:: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम नांगल संतोकडा, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 434/240 रकबा 0.37 है0, मे से पूर्वी डोल के साथ साथ उत्तर से दक्षिण दिशा के सहारे–सहारे 430 फीट भूमि लम्बाई व 11 फीट समानुपाति चौड़ाई में, प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 241 के उत्तर कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण कि आयी भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुणा राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को उक्त रास्ते में आई अप्रार्थी को आई भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में " गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक **22.01.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 14:03:32 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0